

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपाधित
इलाहाबाद कुरैजात रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक
25-2-18 को पेश की।

Smd
8.2.18

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपाधित
इलाहाबाद कुरैजात रिपोर्ट हेतु पत्रावली दिनांक
25-4-18 को पेश की।

Smd
21.2.18

पत्रावली पेश हुई, कुरैजात कानूनी कार्यवाही
हेतु इलाहाबाद कुरैजात रिपोर्ट हेतु मौदनपुरा में दिनांक 22.05.18 को
पेश की।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय
अपके डार केम्प कोर्ट मौदनपुरा में पेश हुई।
उपाधित मौत किरान से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध
में जानकारी लेने एवं केम्प कोर्ट मौदनपुरा में
तहसीलदार वस्सी से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में
जानकारी ली गयी।

पत्रावली का अवलोकन एवं उपाधित मौत
किरान से भूमि के सम्बन्ध में जानकारी लेने एवं
तहसीलदार वस्सी से ली गयी जानकारी तथा पत्रावली
में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं लोक
अदालत हेतु गठित कमेटी के निर्णयानुसार वादग्रस्त
भाराजी खसरा नम्बर 8 रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा
स्थित ग्राम मौदनपुरा तह. वस्सी जि. जयपुर के सम्बन्ध
में रिकार्ड अनुसार वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में
अपने हिस्से का पूरा में बैचान किया जा चुका है। वर्तमान
में वादीगण के नाम कोई खातेदारी भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति
में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में वादी द्वारा चाही जा रही
रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त
भूमि के सम्बन्ध में वादी का वाद लिखी की भंशा के अनुरूप
नसे होने से खारिज किया जाता है। डिक्ली पचा जारी हो।
पत्रावली नम्बर से कर हो।

आज दिनांक 22.05.18 में ग्रह निर्णय न्याय आपके डार
केम्प कोर्ट मौदनपुरा में भजमे आम में सुनाया गया।

Smd
21.5.18

केम्प कोर्ट
स्त भूमि
में तहसीलदार
गयी।
से वादग्रस्त
• से
नों का
के
20 बीघा
ला जयपुर
स्त भूमि
। वर्तमान
की स्थिति में
जाना
सते हैं।
वादी की
ग हैं। डिक्ली

आपके डार
गया।



दिनांक

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई
(ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुकाम बस्सी जिला जयपुर व अलजास.
दीपाली भगोतिया सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट बस्सी जयपुर

- | | | |
|-----------------------------|------|-------------------------------|
| वादी | बनाम | प्रतिवादी |
| 1. किशाना | | 1. धगजू पुत्र गोरया |
| 2. रामजीलाल पुत्रान सुवा | | 2. तादूराम |
| 3. कमला पत्नि बाबूलाल | | 3. रामेश्वर |
| 4. दिनेश | | 4. महादेव |
| 5. प्रवीण पुत्रान बाबूलाल | | 5. कल्याण |
| 6. किरण देवी पुत्री बाबूलाल | | 6. रामकल्याण पुत्रान नेहन्या |
| जाति चमार निवासी चक | | 7. नाथू पुत्र बिरदा |
| श्यामपुरा तह. बस्सी। | | 8. किशाना पुत्र बिरदा |
| | | 9. रामलाल पुत्र भावाना |
| | | 10. रेवड |
| | | 11. रामधन पुत्रान रामचन्द्र |
| | | जाति चमार निवासी चक श्यामपुरा |
| | | तह. बस्सी। |
| | | 12. राज. सरकार जरिये तहसीलदार |
| | | बस्सी। |
| | | 13. संपत्तीयक बस्सी |

दावा तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निणय दिनांक 22.05.2018

मुकदमा नम्बर 263/16

वादग्रस्त आराजी ख.नं. 8 रकबा 20 बीघा 18 डिस्वा स्थित ग्राम मोहनपुरा तह. बस्सी जिला जयपुर के संबंध में रिकार्ड के अनुसार वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से का पूर्व में बेचान किया जा चुका है। वर्तमान में वादीगण के नाम कोई खातेदारी भूमि नहीं है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी द्वारा चाही जा रही रिलीफ दिया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः वादग्रस्त भूमि के संबंध में वादी का वाद विधि की मंशा के अनुरूप नहीं होने से खारिज किया जाता है। निजी.....मुबलिक.....बाबत.....खर्चा इस मुकदम में का मय सूद वगैरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख बसू भियाव तक.....को अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 22.05.18 को जारी किया गया।




दस्तख्त.....
ओ.20 रुल्स व 7 जाब्ता दीवानी

मुकदमा नम्बर	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये
मुकदमा नम्बर			स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प अर्जी			दावा	
दावा			स्टाम्प	
स्टाम्प			बकालतनामा	
बकालतनामा				

22-5-18
काँसैलक मजिस्ट्रेट
बस्सी, जिला जयपुर

वहत		स्टाम्प वहत	
वकील		सबूत	
गवाहन		महन्ता वकील	
		खर्चा गवाहन	
		फीस	
कमिश्नर		कमिश्नर	
बाबत इजराय		बाबत इजराय	
हुक्मनामा		हुक्मनामा	
मुतफरिक		मुतफरिक	
मीजान		मीजान	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डि ग्री के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।


 सहायक कलेक्टर एवं
 कार्यपालक मजिस्ट्रेट
 जिला बरेilly